[2019] 6 एस. सी. आर. 302

भारत वॉच कंपनी अपने भागीदार के माध्यम से

बनाम

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड अपने क्षेत्रीय प्रबंधक के माध्यम से

(2019 की सिविल अपील संख्या 3912)

12 अप्रैल, 2019

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्तियाँ]

बीमाः

बीमा पॉलिसी - बहिष्करण खंड - बीमाधारक को सूचित न करना - का प्रभाव - बीमा दावा - दुकान की चोरी/लूट के लिए - बीमाकर्ता द्वारा पॉलिसी में बहिष्करण की शर्तों को देखते हुए दावे को अस्वीकार कर दिया गया था - जिला मंच के साथ-साथ राज्य आयोग द्वारा इस आधार पर अपील में उपभोक्ता शिकायत की अनुमति दी गई कि बहिष्करण बीमित व्यक्ति पर बाध्यकारी नहीं होगा क्योंकि बहिष्करण के नियमों और शर्तों को बीमित व्यक्ति को सूचित नहीं किया गया था - राष्ट्रीय आयोग ने बहिष्करण खंड पर भरोसा करते हुए बीमित व्यक्ति के दावे को खारिज कर दिया - अपील में, अभिनिर्धारित किया गयाः बहिष्करण खंड के नियम और शर्तें तब आकर्षित होतीं यदि उन्हें बीमित व्यक्ति को सूचित किया जाता - इस तरह के संचार के अभाव में, बहिष्करण खंड वर्तमान मामले में आकर्षित नहीं होता है - राष्ट्रीय आयोग के आदेश को अपास्त किया जा सकता है - अपील प्रदान की गई।

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम हरचंद राय चंदन लाल **(2004) 8 एस.सी.सी. 644: [2004] 4 अनुपूरक एस. सी. आर. 662 - अधिमान्य**

<u>सन्दर्भ निर्णय विधि</u>

[2004] 4 अनुपूरक एस. सी. आर. 662	**अधिमान्य**	**पैरा 6**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2019 की सिविल अपील संख्या 3912

2010 की पुनरीक्षण याचिका संख्या 3836 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 16.04.2015 के निर्णय और आदेश से।

सुधांशु एस. चौधरी, सुश्री सुरभी गुलेरिया, योगेश काल्टे, सुश्री नंदिनी सिंगला, अधिवक्तागण - अपीलार्थी के लिए।

विष्णु मेहरा, अनंत मेहरोत्रा, सुश्री साक्षी मित्तल, अधिवक्तागण - प्रतिवादी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति

1. अनुमति प्रदान की गई |

2. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग[1] ने 16 अप्रैल 2015 के अपने निर्णय द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंच, सोलापुर[2] और उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, महाराष्ट्र[3] द्वारा प्राप्त समवर्ती निष्कर्षों को उलट दिया।

3. अपीलार्थी का सोलापुर में एक शोरूम है जिसमें घड़ियाँ बेची जाती हैं। अपीलार्थी ने प्रतिवादी के पास घड़ियों के अपने स्टॉक का बीमा कराया था। 3 अगस्त 2001 की रात के दौरान, दुकान बंद होने के बाद, परिसर में चोरी हो गई। अगले दिन सुबह लगभग 9 बजे व्यापार के लिए दुकान खुलने के बाद चोरी का पता चला।

4. पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और बीमा पॉलिसी के तहत दावा किया गया। सर्वेक्षणकर्ता ने 4 सितंबर 2001 को एक प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें लगभग 3,86,395 रुपये के नुकसान का संकेत दिया गया था। सर्वेक्षणकर्ता ने दर्ज किया कि उन्हें फर्म के भागीदार द्वारा सूचित किया गया था कि चोरी डुप्लिकेट चाबियों का उपयोग करके हुई होगी। हालांकि, सर्वेक्षक को खाली घड़ी स्टैंड मिले जिन पर मॉडल नंबरों की पट्टियाँ काउंटरों के पीछे पड़ी थीं। जबरन प्रवेश करने का कोई संकेत नहीं था। इसके बाद 30 नवंबर 2001 की एक सर्वेक्षणकर्ता की रिपोर्ट आई।

5. बीमाकर्ता द्वारा दावे को अस्वीकार किए जाने के बाद, अपीलार्थी ने उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराई। 26 अप्रैल 2007 के एक आदेश द्वारा, जिला मंच ने 3,04,000 रुपये की राशि में दावे की अनुमति दी। 19 अप्रैल 2010 को एस. सी. डी. आर. सी. द्वारा अपील में जिला मंच के निर्णय की पुष्टि की गई थी।

6. एन. सी. डी. आर. सी. ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम हरचंद राय चंदन लाल[4] में इस न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा करते हुए 16 अप्रैल 2015 के अपने पुनरीक्षण आदेश में उपरोक्त निर्णयों को उलट दिया। चोरी और/या गृहभेदन के खिलाफ बीमा पॉलिसी में बहिष्करण की शर्तों का निर्माण करते हुए, इस न्यायालय ने कहा था कि जहां परिसर में जबरन और हिंसक प्रवेश और/या निकासी के बिना नुकसान या क्षति हुई थी, दावे को कायम नहीं रखा जा सकता | इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय में नीति की शर्तें इस प्रकार हैं: -

> "सेंधमारी और/या गृहभेदन का अर्थ है चोरी जिसमें जबरन और हिंसक तरीकों से या बीमित व्यक्ति या उसके कर्मचारियों या उसके परिवार के सदस्यों पर हमला या हिंसा या धमकी के बाद परिसर में प्रवेश करना या बाहर निकलना शामिल है। "

7. उपरोक्त शर्त का निर्माण करते हुए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

> "15.....हमारी राय है कि बीमा पॉलिसी की शर्तों के अनुसार चोरी से पहले बल या हिंसा होनी चाहिए थी।किसी दावे को प्रमाणित करने के लिए एक बीमाकर्ता को यह स्थापित करना होगा कि चोरी या सेंधमारी बल या हिंसा से पहले हुई थी और यदि ऐसा नहीं है, तो बीमा कंपनी बीमाकर्ता के दावे को अस्वीकार करने के अपने अधिकार के भीतर होगी।"

8. वर्तमान मामले में, एन. सी. डी. आर. सी. ने अपने निर्णय के दौरान बीमा पॉलिसी के "खंड 8" को स्वीकार किया जो निम्नलिखित शर्तों में थाः-

> "बीमित व्यक्ति से संबंधित उक्त सुरक्षित स्थान की चाबी या उसकी डुप्लिकेट का उपयोग करने के बाद धन और/या अन्य संपत्ति की हानि, जब तक कि ऐसी चाबी हमले या किसी खतरे से प्राप्त नहीं की गई हो"

9. यह किसी भी स्थिति में लागू नहीं था, क्योंकि नुकसान किसी सुरक्षित स्थान से नहीं हुआ था।

10. नीति का खंड (क) जो कि उपरोक्त निर्णय से निकाला गया है, इस प्रकार हैः

> "यहाँ अनुसूची में वर्णित परिसर में सेंधमारी या गृहभेदन के कारण संपत्ति या उसके किसी भी हिस्से को कोई नुकसान या क्षति (वास्तव में जबरन और हिंसक प्रवेश और/या परिसर से बाहर निकलने और देर तक रोकने के बाद चोरी)"

11. चूँकि खंड (क) उस खंड के अनुरूप था जिसे इस न्यायालय ने इस न्यायालय के उपरोक्त यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस (ऊपर) के निर्णय में अर्थ लगाया गया था, एन. सी. डी. आर. सी. ने जिला मंच और एस. सी. डी. आर. सी. के फैसलों को उलट दिया।

12. इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी की ओर से जो मूल मुद्दा उठाया गया है, वह यह है कि पॉलिसी दस्तावेज़ के तहत बहिष्करण की शर्तें बीमाकर्ता द्वारा अपीलार्थी को नहीं सौंपी गई थीं और अपीलार्थी को बहिष्करण की शर्तों से अवगत कराए जाने की अनुपस्थिति में, यह बीमाकर्ता के लिए खुला नहीं है कि वह बहिष्करण खंडों पर भरोसा करे। इसलिए, यह आग्रह किया गया कि हरचंद राय (उपरोक्त) में निर्णय का अनुप्रयोग नहीं होगा क्योंकि उस मामले में कोई विवाद नहीं था कि पॉलिसी दस्तावेज बीमित व्यक्ति को जारी किया गया था।

13. इस प्रस्तुतिकरण का उत्तर बीमाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए दिया जाना चाहिए कि एस. सी. डी. आर. सी. ने बहिष्करण की शर्तों का अर्थ लगाया है। हालाँकि, एस. सी. डी. आर. सी. ने इस न्यायालय के निर्णय पर ध्यान नहीं दिया, और इसलिए, एन. सी. डी. आर. सी. को इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के संबंध में त्रुटि को सुधारना (यह आग्रह किया गया था) उचित था। विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि अपीलार्थी लगभग दस वर्षों से अपने माल का बीमा कर रहा है और यह असंभव है कि अपीलार्थी को बहिष्करण के बारे में पता नहीं था।

14. हम जिला मंच के निर्णय से पाते हैं कि यह अपीलार्थी का विशिष्ट तर्क था कि पॉलिसी दस्तावेज़ में बहिष्करण संबंधी शर्तों को बीमाकर्ता द्वारा सूचित नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप बहिष्करण के नियमों और शर्तों को कभी सूचित नहीं किया गया था। यह तथ्य कि बीमा का अनुबंध था, विवाद में नहीं है और कभी विवाद में नहीं रहा है। एकमात्र मुद्दा यह है कि क्या बहिष्करण संबंधी शर्तों के बारे में अपीलार्थी को सूचित किया गया था। जिला मंच इस तथ्य के एक विशिष्ट निष्कर्ष पर पहुंचा कि बीमाकर्ता ने अपीलार्थी को बहिष्करण और विशेष शर्तों के नियम और शर्तें प्रस्तुत नहीं की थीं और इसलिए, वे बाध्यकारी नहीं थीं। जब मामला एस. सी. डी. आर. सी. के पास गया, तो एक बार फिर इस तथ्य का पता चला कि शिकायतकर्ता को बहिष्कारण की शर्तों की आपूर्ति नहीं की गई थी।

15. ऐसा मानने के बाद, एस. सी. डी. आर. सी. इस निष्कर्ष पर भी पहुंचा कि बहिष्कारण किसी भी स्थिति में आकर्षित नहीं होगा। इस तरह के बहिष्करण खंड की व्याख्या के संबंध में एस. सी. डी. आर. सी. का निष्कर्ष स्पष्ट रूप से हरचंद राय (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत है। हालाँकि, उस व्याख्या की प्रासंगिकता उत्पन्न हुई होगी बशर्ते बीमित व्यक्ति को बहिष्करण की शर्तें प्रदान की गई हों। एन. सी. डी. आर. सी. जिला फोरम और एस.सी.डी.आर.सी. दोनों के समवर्ती निष्कर्षों से चूक गया कि बीमित व्यक्ति को बहिष्करण की शर्तों के बारे में नहीं बताया गया था। यदि उन शर्तों को बीमित व्यक्ति को नहीं बताया गया था, जैसा कि समवर्ती निष्कर्ष है, तो एन. सी. डी. आर. सी. के लिए इस तरह के बहिष्कार के प्रभाव पर निर्णय देने का कोई अवसर नहीं था।

16. इन परिस्थितियों में, एन. सी. डी. आर. सी. ने जिला मंच और एस. सी. डी. आर. सी. के निर्णयों को उलटने में गलती की, जो इस तथ्य के शुद्ध निष्कर्ष पर आधारित थे कि बीमित व्यक्ति को बहिष्करण की शर्तों के बारे में नहीं बताया गया था।

17. हम स्पष्ट करते हैं कि ऐसी स्थिति में जहां पहले उल्लिखित बहिष्करण की शर्तें लागू होती हैं, इस न्यायालय द्वारा हरचंद राय (ऊपर) में निर्धारित कानून निस्संदेह आकर्षित होगा। हालाँकि, इस मामले को तथ्यों के आधार पर अलग किया जा सकता है, क्योंकि बहिष्करण की शर्तों को सूचित नहीं किया गया था।

18. हम तदनुसार, अपील की अनुमति देते हैं और एन. सी. डी. आर. सी. के आक्षेपित निर्णय और आदेश को अपास्त करते हैं। जिला मंच द्वारा पारित आदेश तदनुसार बहाल होगा। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

19. लंबित आवेदन(ओं), यदि कोई हों, का निपटान माना जाएगा|

कल्पना के. त्रिपाठी

अपील की अनुमति दी गई।

[1]"एन. सी. डी. आर. सी."
[2]"जिला मंच"
[3]"एससीडीआरसी"
[4](2004) 8 एस सी सी 644